न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/2018	11—05—2018	29—01—2020

01— प्रहलाद पुत्र हरदान जाति मीना निवासी ग्राम नैथला (बिण्जारी का बास) तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01— तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 18.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 89/2017

उपस्थितः—

01—श्री रामबीर सिंह —वकील अपीलाण्ट

—ःनिर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 841 रकबा 0.85 है0, 852 रकबा 0.29 है0 में से 1.09 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 841 रकबा 0.85 है0, 852 रकबा 0.29 है0 में से 1.09 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट को सजा व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 27.12.2017 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट को सजा के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29—01—2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) आयालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)